प्रेस विज्ञप्ति
18 .04.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ ज़ोनल कार्यालय ने 16.04.2025 को मेसर्स उन्नति ग्रुप कंपनी के मुख्य प्रमोटर और कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति अनिल मिठास को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है। इसके अलावा, उन्हें विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निरोधक, सीबीआई, गाजियाबाद की माननीय पीएमएलए न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने आरोपी को 24-04-2025 तक ईडी हिरासत में भेजा है।

ईडी ने उन्नति ग्रुप द्वारा अपने निदेशकों/ प्रमोटरों/ गारंटरों के साथ मिलीभगत करके घर खरीदारों के साथ 107 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले में एसआईटी उत्तर प्रदेश द्वारा कंपनी मेसर्स उन्नति फॉर्च्यून होल्डिंग्स लिमिटेड (यूएफएचएल) और प्रमोटर और अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज विभिन्न एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच में पता चला है कि 2012-2019 की अवधि के दौरान नोएडा के सेक्टर 119 में अरण्य (ARANYA) नामक आवासीय परियोजना के लिए उन्नति फॉर्च्यून होल्डिंग्स लिमिटेड और आईवीआरसीएल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा घर खरीदारों से 522.90 करोड़ रुपये एकत्र किए गए थे। पूरे पैसे का उपयोग निर्माण के लिए करने के बजाय प्रमोटर ने कुछ हिस्से का उपयोग निर्माण के लिए किया और बाकी विभिन्न कंपनियों को फर्जी ऋण और अग्रिम, शेयर प्रीमियम, सामग्री के लिए अग्रिम भुगतान, जमा आदि के माध्यम से बड़ी धनराशि का गबन किया, उन कंपनियों में से कुछ के या तो छोटे उल्लंघनों के कारण राशि जब्त कर ली या कुछ को एमसीए से हटा दिया गया, और परियोजना पैसे की कमी के कारण अटक गई। यूपीआरईआरए के निर्देश पर मेसर्स करी एंड ब्राउन द्वारा तैयार की गई ऑडिट रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से 107 करोड़ रुपये का हेराफेरी (डायवर्जन) दिखाया गया ।

निदेशकों और प्रमोटरों ने आईपीसी, 1860 की धारा 420 और 120-बी के तहत संगठित वित्तीय धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश रची। वे खरीदारों के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहे और कई परिवारों को वित्तीय नुकसान पहुँचाते हुए विश्वास का उल्लंघन किया। सैकड़ों घर खरीदारों को परेशानी में छोड़ दिया गया और प्रमोटरों द्वारा भारी मात्रा में धन का दुरुपयोग किया गया। इस प्रकार, धोखाधड़ी का अपराध करके, जो एक अनुसूचित अपराध है, आरोपियों ने पैसा कमाया है, जो अपराध की आय के अलावा और कुछ नहीं है।

आगे की जांच जारी है।